

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक. 12.02.2019

प्रथम अपील सं.
संदर्भ संचिका सं.

CIC/AA/A/2019/43
CICOM/A/2019/00033
CICOM/R/2019/00056

अपीलकर्ता :

श्री बाल किशन शर्मा,
पुत्र - श्री उदय राम शर्मा,
गांव व पो0 - खरोटे कोसी कलों,
मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281403.

निर्णय की तारीख : 12.02.2019

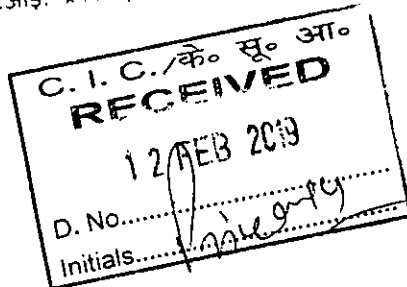
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.01.2019, 24.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. महोपात्रा, श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	61/08.02.2019 (8421/07.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित तीन पत्रों पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महोपात्रा एवं श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महोपात्रा एवं श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
12/2/19



रवि
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162291